न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस
राजस्व अपील संख्या : GCMS No. 2022/388
दायरा तिथि : 18.10.2022
फैसला तिथि : 21-12-22

अपीलान्ट :–

ललीतादेवी पुत्री लादारामजी जाति ब्राहमण
निवासी भन्दर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

रेस्पोडेन्टस :–

1. शारदा पुत्री लादारामजी
2. विष्णुदत पुत्र लादारामजी जातिगण ब्राहमण
   निवासीगण भन्दर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
3. सरपंच ग्राम पंचायत भंदर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

–:: आदेश ::– दिनांक 21-12-22

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956
(विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 720 दिनांक 07.06.1975 जो सरपंच ग्राम पंचायत भन्दर द्वारा स्वीकृत किया गया)

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। अपीलान्ट ने अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व रेस्पोडेन्ट्स प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भन्दर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1253 से 1259, खसरा नंबर 1262 से 1274, तथा खसरा नंबर 1287, 1297, 950, 951 कुल खसरा–24 कुल रकबा 7.56 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नंबर 400 से 404, 948 से 950, 955 से 962 एवं 413 रहे है, उक्त भूमि में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 के पिता लादा पुत्र माला का 1/4 हिस्सा आता है। इसी प्रकार भन्दर स्थित अन्य भूमि खसरा नंबर 843, 844, 845 कुल खसरा–03 कुल रकबा 1.70 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नंबर 271 मी., 274, 286, 287, 271 मी. रहे है, इस भूमि में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 के पिता लादा पुत्र माला का 1/32 हिस्सा आता है। अपीलान्ट के पिता द्वारा सह खातेदारी में धारित की जा रही इन भूमियो में अपीलान्ट के पिता लादा पुत्र माला के देहान्त बाद दाखिल व स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 720 स्वीकृति दिनांक 07.06.1975 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 पुत्र विष्णुदत पुत्र लादाराम नाबालिग कार्यकता गंगा माता के नाम से भरा जाकर स्वीकृत कर दिया गया। जबकि लादा पुत्र मालाजी की पुत्रिया ललीता व शारदा व पत्नि गंगा के नाम इन्द्राज नहीं किये जबकि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लादाराम की बडी पुत्रिया है, जो जिवित है। इसके बावजुद नामान्तरकरण संख्या 720 विधि विरूद्व तरीके से भरा जाकर स्वीकृत होने से नामान्तरकरण संख्या 720 को निरस्त कर लादाराम के सभी वारिशान पुत्र एवं पुत्रिया अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अपील में वर्णित तथ्यों की पुष्टि में स्वयं का शपथ पत्र, तथा अपील देरीना प्रस्तुती के लिये धारा 5 मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया। तथा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य नामान्तरकरण संख्या 720 की प्रति, मिलान क्षैत्रफल की प्रति, जमाबंदी संवत् 2020 से 2023 की प्रमाणित प्रति, जमाबंदी संवत् 2028 से 2031 की प्रमाणित प्रति, जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 की प्रमाणित प्रति, आधार कार्ड की नकल, मृत्यु प्रमाण पत्र लादाराम दिनांक 11.8.1972 की प्रति पेश की गई।

प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 को जारी सम्मन नियत पेशी दिनांक 22.11.2022 के तामील शुदा प्राप्त होने के बावजुद रेस्पोडेन्ट नियत पेशी दिनांक 22.11.2022 व उसके बाद नियत पेशी दिनांक 28.11.2022 को वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये गये। दिनांक 28.11.2022 को समस्त रेस्पोडेन्ट के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने से वकील अपीलान्ट श्री मूलसिंह यादव की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रकरण में तहसीलदार, बाली से मूल नामान्तरकरण संख्या 720 प्राप्त न होने से पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण की सत्यापित प्रति को ही द्वितीय साक्ष्य के तौर पर मानते हुये वकील अपीलान्ट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट श्री मूलसिंह यादव ने बहस में अपील के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि ग्राम भन्दर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1253 से 1259, खसरा नंबर 1262 से 1274, तथा खसरा नंबर 1287, 1297, 950, 951 कुल खसरा–24 कुल रकबा 7.56 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नंबर 400 से 404, 948 से 950, 955 से 962 एवं 413 रहे है, उक्त भूमि में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 के पिता लादा पुत्र माला का 1/4 हिस्सा आता है। इसी प्रकार भन्दर स्थित अन्य भूमि खसरा नंबर 843, 844, 845 कुल खसरा–03 कुल रकबा 1.70 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नंबर 271 मी., 274, 286, 287, 271 मी. रहे है, इस भूमि में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 के पिता लादा पुत्र माला का 1/32 हिस्सा आता है।

पेज लगातार.........02

Scanned with CamScanner

राजस्व अपील संख्याः GCMS No. 2022/388
अनवान् ललीतादेवी बनाम शारदा वगैरा
अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956
(विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 720 दिनांक 07.06.1975 जो सरपंच ग्राम पंचायत भन्दर द्वारा स्वीकृत किया गया)

अपीलान्ट के पिता द्वारा सह खातेदारी में धारित की जा रही इन भूमियो में अपीलान्ट के पिता लादा पुत्र माला के देहान्त बाद दाखिल व स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 720 स्वीकृति दिनांक 07.06.1975 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 पुत्र विष्णुदत पुत्र लादाराम नाबालिग कार्यकता गंगा माता के नाम से भरा जाकर स्वीकृत कर दिया गया। जबकि लादा पुत्र मालाजी की पुत्रिया ललीता व शारदा व पत्नि गंगा के नाम इन्द्राज नहीं किये जबकि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लादाराम की बडी पुत्रिया है, जो जिवित है। इसके बावजुद नामान्तरकरण संख्या 720 विधि विरूद्ध तरीके से भरा जाकर स्वीकृत होने से नामान्तरकरण संख्या 720 को निरस्त कर लादाराम के सभी वारिशान पुत्र एवं पुत्रिया अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज किये जाने की दलील दी। इसके साथ ही मयाद के बिन्दु पर बहस कर दलील दी गई कि जो नामान्तरकरण **ab- intio- void** है। वह न्यायालय की जानकारी में आते ही निरस्त योग्य है। विद्वान् वकील आपीलान्ट ने मयाद के बिन्दु के सबंध में बहस के दौरान् कानूनी उद्धहरण आर.आर.टी 2009 (2) बअनवान भंवरसिंह व अन्य बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यु व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12 मई, 2009 को पारित निर्णय की प्रति पेश की। **जिसके अनुसार– राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956– धारा 75 व 135– नामान्तरण के आदेश के विरूद्ध अपील 24 वर्ष बाद अपील पेश की– अति. जिला कलेक्टर व राजस्व मण्डल द्वारा विलम्ब माफ किया गया– मृतक" सी.एस" ने अपने पीछे विधवा, चार पुत्रियों और दो पुत्र प्रार्थी व रेस्पोण्डेन्ट नंबर 7 को छोडा– निचले न्यायालयों ने निर्णीत किया कि रेस्पोण्डेन्ट जो विधिक वारिसान है, कृषि भूमि, में हिस्से के हकदार है– भूमि केवल प्रार्थी व रेस्पोण्डेन्ट नंबर 07 के नाम नामान्तरित की– निर्णीत, निचले न्यायालयों ने कोई अविधिकता नहीं की हैं (पैरा 5)**

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत प्रकरण में स्वीकार्य तथ्य हैं कि अपीलान्ट के पिता लादा पुत्र मालाजी का दिनांक 11.8.1972 को देहान्त हो चुका है, तथा उनके वारिश रेस्पोडेन्ट संख्या 02 विष्णुदत के अलावा पुत्रिया अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या–01 मौजुद होते हुये पटवारी हल्का, भन्दर द्वारा स्व0 लादा पुत्र मालाजी द्वारा सह खातेदारी में धारित की जा रही उपरोक्त वर्णित भूमियो में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 विष्णुदत पुत्र लादाजी के नाम नामान्तरकरण संख्या 720 दर्ज किया गया, जिस नामान्तरकरण को निरीक्षक भू0अ0 की जांच के बाद दिनांक 7.6.1975 को सरपंच ग्राम पंचायत भन्दर द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। इस प्रकार प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 720 **ab- intio- void** है। जिससे प्रस्तुत कानूनी उद्धहरण आर.आर.टी. 2009(2) में प्रतिपादित सिद्वान्त के अनुसार अपील अन्दर मयाद मानी जाती है। ग्राम भन्दर का प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 720 स्वीकृति दिनांक 7.6.1975 निरस्त किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। ग्राम भन्दर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1253 से 1259, खसरा नंबर 1262 से 1274, तथा खसरा नंबर 1287, 1297, 950, 951 कुल खसारा–24 कुल रकबा 7.56 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नंबर 400 से 404, 948 से 950, 955 से 962 एवं 413 रहे है, उक्त भूमि में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 के पिता लादा पुत्र माला का 1/4 हिस्सा आता है। इसी प्रकार भन्दर स्थित अन्य भूमि खसरा नंबर 843, 844, 845 कुल खसरा–03 कुल रकबा 1.70 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नंबर 271 मी., 274, 286, 287, 271 मी. रहे है, इस भूमि में अपीलान्ट व रेसपोडेन्ट संख्या 01, 02 के पिता लादा पुत्र माला का 1/32 हिस्सा आता है। अपीलान्ट के पिता द्वारा सह खातेदारी में धारित की जा रही इन भूमियो में अपीलान्ट के पिता लादा पुत्र माला के देहान्त बाद दाखिल व स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 720 स्वीकृति दिनांक 07.06.1975 को **स्व0 लादा पुत्र माला के हिस्से तक निरस्त** किया जाता है। आदेश प्रति मय नामान्तरकरण संख्या 720की सत्यापित प्रति तहसीलदार, बाली को भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि नामान्तरकरण संख्या 720 को स्व0 लादा पुत्र माला के हिस्से तक निरस्त करते हुये मृतक लादा पुत्र माला के तमाम वारिशान अपीलन्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के नाम बहिस्सा बराबर में नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही कर पालना से एक माह में अवगत करावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री [illegible] सोहल नाना)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

आदेश आज दिनांक 21-12-22 को मजमा–ए–आम में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner